

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

–:: विविध आदेश ::–

(नवीन आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2023)

क्रमांक-क्यु./सी.जे.एम./2022

बैतूल, दिनांक- -01-2023

में धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.), माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुख्यालय आमला, मुलताई, भैंसदेही में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर, उनकी क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ निश्चित करता हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरांत से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा:-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 2. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से सम्बन्धित अपराधों की खारजा प्रतिवेदन। 3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर जिले के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 195 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5. सम्पूर्ण बैतूल जिले के बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2002, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. आर.टी.ओ. बैतूल/यातायात विभाग बैतूल द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग-पत्र एवं परिवाद-पत्र। 7. मुख्यालय बैतूल के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण। 8. सम्पूर्ण बैतूल जिले से उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम, नापतौल अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है)। 9. ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
2	श्री कलम सिंह मेडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-शाहपुर, जी.आर.पी. आमला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।

		<p>2. आरक्षी केन्द्र-शाहपुर, जी.आर.पी. आमला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. मुख्यालय बैतूल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र-शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
3	श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-बैतूल-बाजार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-बैतूल-बाजार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र-बैतूल-बाजार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
4	श्री कमलेश मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-रानीपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-रानीपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र-कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल, चिचोली, बीजादेही, चोपना से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र-रानीपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
5	श्री विजय सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-सारणी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-सारणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. मुख्यालय बैतूल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न उत्खनन विधि के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र-सारणी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
6	सुश्री पूजा सिंह मौर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त

	श्रेणी, बैतूल	आपराधिक प्रकरण।
7	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-चिचोली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र-चिचोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र-कोतवाली बैतूल, चिचोली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र। 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
8	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-बीजादेही के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र-बीजादेही के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र-गंज बैतूल, बीजादेही के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र। 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
9	श्री अरूण सिंह अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-महिला थाना बैतूल, शाहपुर, बैतूल-बाजार, रानीपुर, सारणी से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण। 2. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
10	श्री कृष्णा बोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल, जिला-बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-चोपना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र-चोपना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र-चोपना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र। 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
11	श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला-बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र-मुलताई के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र-मुलताई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र-मुलताई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र। 4. तहसील मुख्यालय मुलताई के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वार्डल्ड लाईफ व म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के

		<p>अपराधो से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
12	सुश्री आकांक्षा टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई, जिला- बैतूल	<p>1. तहसील मुख्यालय मुलताई के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी मुलताई के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-मुलताई, साईखेड़ा, बोरदेही (ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125, 127 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
13	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई, जिला-बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-साईखेड़ा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-साईखेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र-साईखेड़ा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
14	श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला-बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
15	श्री नानसिंह ताहेड़, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-आमला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र-आमला के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. तहसील मुख्यालय, आमला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आमला के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. <u>आरक्षी केन्द्र-आमला, बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 दं.प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण। 5. <u>आरक्षी केन्द्र-आमला</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद-पत्र। 6. <u>तहसील मुख्यालय आमला</u> क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 7. <u>तहसील मुख्यालय आमला</u> के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले <u>वन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ</u> के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 8. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
16	<p>सुश्री रीना पिपल्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला-बैतूल</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के <u>आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा</u> प्रकरण। 2. <u>आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले <u>म.प्र. आबकारी अधिनियम</u> से उद्भूत समस्त प्रकरण। 3. <u>आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद-पत्र। 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
17	<p>सुश्री उषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही, जिला-बैतूल</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार</u> के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण। 2. <u>आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र। 3. <u>आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले <u>म.प्र. आबकारी अधिनियम</u> से उद्भूत समस्त प्रकरण। 4. <u>तहसील मुख्यालय भैसदेही</u> के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भैसदेही के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण। 5. <u>आरक्षी केन्द्र-भैसदेही, झल्लार, आठनेर, मोहदा</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 दं.प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण। 6. <u>तहसील-भैसदेही तथा झल्लार क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र चिचोली की चौकी भीमपुर</u> जो तहसील भैसदेही के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।

		<p>7. <u>तहसील मुख्यालय भैंसदेही</u> के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले वन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>8. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
18	सुश्री निकिता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही, जिला-बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र-आठनेर, मोहदा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>2. <u>आरक्षी केन्द्र-आठनेर, मोहदा</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।</p> <p>3. <u>आरक्षी केन्द्र-आठनेर, मोहदा</u> के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>

नोट :-

1. बैतूल जिले में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल से अनुमति प्राप्त कर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को सूचना देकर प्रत्येक माह में अपने न्यायालय का न्यायिक कार्य प्रभावित किये बिना चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद-पत्र, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो सम्बन्धित न्यायालय में पूर्व से लम्बित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम हैं।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
4. द.प्र.सं. की धारा 176 (1-क) के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।
5. परिशिष्ट-“अ”, परिशिष्ट-“ब”, परिशिष्ट-“स”, परिशिष्ट-“द” इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अंग समझे जावेगे।
6. किसी भी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या किसी कर्तव्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण परिशिष्ट-“अ” में उनके नाम से अगले क्रम में दर्शाये गये मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे और वे उन्हें अपने न्यायालय में पंजीबद्ध करके उनका विधि अनुसार निराकरण कर सकेंगे।
7. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारण्ट व जेल वारण्ट का बनाया जाना इत्यादि सभी सम्बन्धित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125, 127 एवं 128 द.प्र.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली राशि एवं वापसी से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण जिला मुख्यालय बैतूल पर श्री कलम सिंह मेडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय मुलताई पर श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय भैंसदेही पर सुश्री उषा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा तहसील न्यायालय आमला पर श्री नानसिंह ताहेड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

श्रेणी, करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में परिषिष्ट—“अ” में दर्शाये गये उनके प्रभार अनुसार करेंगे।

8. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट का निराकरण वर्तमान कार्य विभाजन पत्रकानुसार आरक्षी केन्द्र से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

—:: सामान्य निर्देश ::—

1. न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर-03(आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार)में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल को है एवं कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित कोई भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।
2. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर या पद रिक्त होने पर या किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकृति से सम्बन्धित समरी प्रकरणों का निराकरण उनके न्यायालय के इंचार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत किया जाएगा।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिषिष्ट – ‘अ’ ::—

इस सारणी में बताये गये पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में उनके नामों के समक्ष (क्रम में) दर्शाये गये मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे :-

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई C.J.M., Betul	श्री कलम सिंह मेडा J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul
2	श्री कलम सिंह मेडा J.M.F.C., Betul	श्री विजय सिंह चौहान, J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul
3	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul
4	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा, J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul
5	श्री विजय चौहान, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul
6	सुश्री पूजा सिंह मौर्य, J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul
7	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul
8	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul

9	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul
10	श्री कृष्णा बोहरा, J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा, J.M.F.C., Betul
11	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू J.M.F.C., Multai
12	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai
13	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai
14	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai
16	सुश्री उषा उईके J.M.F.C., Bhaidehi	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., Bhaidehi	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul
	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., Bhaidehi	सुश्री उषा उईके, J.M.F.C., Bhaidehi	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul
17	श्री नानसिंह ताहेड J.M.F.C., Amla	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.F.C., Amla	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai
18	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.F.C., Amla	श्री नानसिंह ताहेड J.M.F.C., Amla	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai

- नोट:-** 1. उपरोक्त कॉलम नम्बर-03, 04 व 05 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम न0-02 में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर **मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित** किया जायेगा।
2. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्ही कारण वश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

-:: परिषिष्ट - 'ब' ::-

इस सारणी में बताये गये पदस्थ क्रमांक-02 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदन-पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अभिलेखन कॉलम नम्बर-03 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नम्बर-3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर-4 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-4 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर-5 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-5 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में बैतूल मुख्यालय पर उपस्थित रहे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई C.J.M., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा J.M.F.C., Betul
2	श्री कलम सिंह मेडा J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul
3	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री विजय सिंह चौहान, J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul
4	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul	श्री विजय सिंह चौहान, J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul
5	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री कलम सिंह मेडा J.M.F.C., Betul
6	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री कलम सिंह मेडा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे J.M.F.C., Betul
7	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul
8	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्री पूजा सिंह मौर्य, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके J.M.F.C., Betul
9	श्री दिनेश मीणा J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai
10	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai
11	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai
12	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai
13	सुश्री उषा उईके J.M.F.C., Bhaidehi	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., Bhaidehi	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा J.M.F.C., Betul
14	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., Bhaidehi	सुश्री उषा उईके, J.M.F.C., Bhaidehi	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul	श्री विजय सिंह चौहान, J.M.F.C., Betul
15	श्री नानसिंह ताहेड़ J.M.F.C., Amla	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.F.C., Amla	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai
16	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.F.C., Amla	श्री नानसिंह ताहेड़ J.M.F.C., Amla	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai

नोट:-1. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत धारा 164 द0प्र0स0 के तहत कथन, **श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैतूल** द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य किया जावेगा।

2. पॉस्को एक्ट से उत्पन्न धारा-164 द.प्र.सं. के कथन तहसील मुख्यालय-मुलताई के समस्त आरक्षी केन्द्रों के सुश्री आकांक्षा टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई, तहसील मुख्यालय भैसदेही के समस्त आरक्षी केन्द्रों के सुश्री निकिता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही एवं तहसील मुख्यालय आमला के संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के सुश्री रीना पिपल्या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिषिष्ट — 'स' ::—

बलात्कार से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र—जी.आर.पी. आमला 2. आरक्षी केन्द्र— चोपना 3. आरक्षी केन्द्र— चिचोली
1.	श्रीमती राधा उईके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र— बैतूल—बाजार 2. आरक्षी केन्द्र— महिला थाना बैतूल 3. आरक्षी केन्द्र— सारणी
2.	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र— झल्लार 2. आरक्षी केन्द्र— भैंसदेही 3. आरक्षी केन्द्र— कोतवाली बैतूल
3.	श्री अरूण सिंह अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र— शाहपुर 2. आरक्षी केन्द्र— गंज बैतूल 3. आरक्षी केन्द्र— रानीपुर 4. आरक्षी केन्द्र— बीजादेही
5.	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र— मुलताई 2. आरक्षी केन्द्र— बोरदेही
6.	श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र— साईखेड़ा
7.	श्रीमती उषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही	1. आरक्षी केन्द्र— आठनेर 2. आरक्षी केन्द्र— मोहदा
8.	सुश्री निकिता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही	1. आरक्षी केन्द्र—भैंसदेही 2. आरक्षी केन्द्र— झल्लार
9.	सुश्री रीना पिपल्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला	1. आरक्षी केन्द्र— आमला

—:: परिषिष्ट — 'द' ::—

इस सारणी में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में **—:: परिषिष्ट — 'स' ::—** के अनुसार कार्य के संपादन हेतु उनके नामों के समक्ष (क्रम में) मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे -

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)

1	श्रीमती राधा उईके J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul
2.	सुश्री अन्ना ग्लोरी टोप्पो J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्री कमलेश मीणा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul
3.	श्री अरूण सिंह अलावा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री लक्ष्मण डोडवे, J.M.F.C., Betul	श्री कृष्णा वोहरा, J.M.F.C., Betul
5.	श्री कृष्णपाल सिसोदिया, J.M.F.C., Multai	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Betul
6.	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री आकांक्षा टेकाम, J.M.F.C., Multai
7.	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.F.C., Amla	श्री नानसिंह ताहेड़, J.M.F.C., Amla	श्री अभिषेक साहू, J.M.F.C., Multai	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया J.M.F.C., Multai
8	श्रीमती उषा उईके, J.M.F.C., Bhainsdehi	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., Bhainsdehi	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul
9	सुश्री निकिता चौहान, J.M.F.C., Bhainsdehi	सुश्री उषा उईके, J.M.F.C., Bhainsdehi	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी टोप्पो, J.M.F.C., Betul

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल की ओर उक्त आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट बैतूल

बैतूल, जिला-बैतूल म0प्र0